



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27065

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 4353/2026**

कुलवेन्द्र @ कल्लू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी

---

आवेदक के अधिवक्ता : नसीम अहमद, सलमान अहमद

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए, प्रद्युम्न कुमार

---

**न्यायालय संख्या- 3**

**माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए, तथा मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रद्युम्न कुमार को सुना और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि प्राथमिकी में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि घटना के दिन आवेदक उसके घर में घुसा और उसकी लगभग 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत की, जिसे दो लोगों ने देखा था। पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि घटना के दिन उसने आवेदक को फोन किया और उसे अपने घर बुलाया; वह वहाँ तीन-चार घंटे रुका और उन दोनों के बीच उसकी अपनी सहमति से यौन संबंध बने। इसके विपरीत, बी.एन.एस.एस.की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में, पीड़िता ने अपनी बात बदलते हुए यह आरोप लगाया है कि आवेदक ने उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। उसने यह भी कहा है कि इससे पहले भी आवेदक ने दो बार उसके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाए थे। जिन दो कथित गवाहों ने

*अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



आवेदक को पकड़ा था, उन्होंने अपने बयानों में केवल यही आरोप लगाया कि आवेदक ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की थी। कथित घटना के दो दिन बाद पीड़िता की मेडिकल जाँच की गई, जिसमें उसके शरीर पर कोई बाहरी या अंदरूनी चोट नहीं पाई गई; उसका हाइमन पहले से फटा हुआ पाया गया और उसके वजाइनल स्मीयर में कोई शुक्राणु नहीं मिला। रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की उम्र 17 वर्ष पाई गई। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि मेडिकल सबूत, उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किए जाने के आरोप की पुष्टि नहीं करते हैं; इसके अलावा, बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में भी काफी विरोधाभास हैं। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि यह फंसाने का एक झूठा मामला है और आवेदक को किसी छिपे हुए मकसद तथा दुर्भावनापूर्ण इरादे के चलते झूठे और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को साबित करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठे मामले में फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है, और जब भी आवश्यकता होगी, वह पूरी निष्ठा के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा; साथ ही, वह उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जिन्हें न्यायालय उस पर लगाना उचित समझेगा। इसके बाद वह यह निवेदन करता है कि आवेदक 12.12.2025 से जेल में है, और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए और साथ ही मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए आवेदक की ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय विचारण-पूर्व चरण में नहीं किया जा सकता; इसलिए, वह किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है।

4. समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता है। तदनुसार, ज़मानत याचिका स्वीकार की जाती है।

**अस्वीकरण:** "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. आवेदक-कुलवेंद्र उर्फ कल्लू को, केस क्राइम नंबर 523/2025 में, बी.एन.एस. की धारा 74, 333, 65(1), 351(2) (जो 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' की धारा 7/8 के साथ पठित हैं) के तहत, पुलिस थाना-कुरावली, जिला-मैनपुरी से संबंधित मामले में, एक व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने और समान राशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर (जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन होंगे), निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए: i) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को न तो धमकाएगा और न ही परेशान करेगा।

iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

iv) आवेदक उस अपराध जैसा कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसका उस पर आरोप है या जिसके करने का उस पर संदेह है।

v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि वह उस व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों को उजागर करने से रोक सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सके।

6. ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,)

6 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"